राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

दिनांक : 12.5.09

–: प्रेस विज्ञप्ति :–

आयोग की विज्ञापन संख्या 15/परीक्षा 'ख'/उ.नि.पु./भू.पू.सै/2008–09/3456 दिनांक 02.03.09 उप निरीक्षक पुलिस (केवल भूतपूर्व सैनिकों के लिए) सीधी भर्ती परीक्षा,2008 के बिन्दु सं. 4 **शैक्षणिक योग्यता** के सन्दर्भ में सूचित किया जाता है कि राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक एफ.2(1) कार्मिक क–2/2003 दिनांक 20.02.03 के अनुसरण में उक्त पदों हेतु अंकित योग्यता ''भारत में विधि द्वारा संस्थापित किसी विश्वविद्यालय की कला, विज्ञान या वाणिज्य में स्नातक'' में निम्न संशोधन किया जाता है :–

''भारत वर्ष में केन्द्र अथवा राज्य द्वारा पारित कानून के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय या केन्द्र या राज्य द्वारा पारित कानून के अनुसार संस्थापित किसी शिक्षण संस्थान तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कानून 1956 की धारा 3 के तहत विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक उपाधि या राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से विचार विमर्श के बाद सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष शैक्षणिक योग्यता को प्रख्यापित किया गया है।'' इस नवीनतम संशोधन के तहत आवेदन पत्र प्राप्ति की **अन्तिम तिथि 12.06.09** है। अतः ऐसे समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि जिन्होंने पूर्व में आवेदन नहीं किया है और इस योग्यता के अन्तर्गत पात्र बनते है वे आवेदन कर सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में आवेदन कर दिया है, वे दुबारा आवेदन न करें। विज्ञापन दिनांक 02.03.09 की अन्य शर्ते यथावत रहेगी। विज्ञापन आयोग की वेबसाइट **http//www.rpsc.gov.in** पर उपलब्ध है।

(के. विधानी)
उप सचिव